

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

“ए” ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर-302005
 (दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309 Email- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ4 (ई)(1)(6) / पदस्थापन / अलेसे-गा / 1191

दिनांक :- 12/5/18

आदेश संख्या : 61/2018-19

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा 2013 में सफल घोषित होने एवं आयोग द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंसा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थीयों को एतदद्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में परियोक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (कनिष्ठ लेखाकार) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन-भत्तों पर नियुक्ति किया जाता है। प्रत्येक नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नांकित तालिका में उनके समक्ष अंकित विभाग/कार्यालय में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग को Email- jacct.dta@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से सूचित करें।

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री) पिता का नाम रोल नं.-मेरिट क्रमांक/वर्ष	जन्मतिथि श्रेणी	पदस्थापन कार्यालय	अभ्यर्थी का फोटो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JITENDRA KUMAR RAMNIVASH 641181- 1771/2013	07-Oct-88 BC,RG,ME, NG	SUB TREASURY OFFICER (INDEPENDENT) (10312), TREASURIES AND ACCOUNTS , SHIVGANJ , SIROHI	
2	GOPAL LAL BIYANI BAL MUKUND BIYANI 470106- 2816/2013	13-Jun-82 GE,RG,ME, NG	X. EN DIV - 10893 , PHED , BHILWARA , BHILWARA	
3	ARUN KUMAR PUROHIT KULDEEP PUROHIT 475746- 2919/2013	15-Oct-87 GE,ME	SE CIRCLE - 16857 , PHED , BHILWARA , BHILWARA	
4	SHARWAN KUMAR NAND RAM 548842- 2300/2013	15-Jun-89 BC,RG,ME	SUB TREASURY OFFICER (INDEPENDENT) (10068) , TREASURIES AND ACCOUNTS , BAITU , BARMER	
5	KANHAIYA SINGH DALJEET SINGH 548483- 2898/2013	02-Sep-80 SC,RG,ME	SUB TREASURY OFFICER (33292) , TREASURIES AND ACCOUNTS , DHORIMANNA , BARMER	
6	SHRAVAN SINGH SHANKAR SINGH 687143- 2752/2013	02-Jul-85 GE,RG,ME	TREASURY OFFICER - 1126 , TREASURIES AND ACCOUNTS , SIROHI , SIROHI	

✓

7	SUSHIL SINGHMAR SATAY NARAYAN 692962- 1673/2013	08-Feb-92 BC,RG,ME, NG	TREASURY OFFICER (1106) , TREASURIES AND ACCOUNTS , SRIGANGANAGAR , SRIGANGANAGAR	
8	REKHA RAMESHWAR LAL GUPTA 691336- 2568/2013	09-Jun-89 GE,WE,RG, ME	C.E.O. DISTRICT H.Q. - 3000175 , MGNREGP , SRIGANGANAGAR , SRIGANGANAGAR	
9	ASHISH SHARMA UTTAM KUMAR SHARMA 834834- 2384/2013	01-Aug-90 GE,ME,NG	DIRECTOR - 913 , PRINTING AND STATIONERY , JAIPUR , JAIPUR	

उपरोक्त अध्यक्षियों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन दी जा रही है:-

- उक्त नियुक्ति एस.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 422/2018जितेन्द्र कुमार व अन्य बनाम श्रीमती मंजुला वर्मा व अन्य(अंतर्गत एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6947 / 2017) में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के एकलपीठ के निर्णय दिनांक 07.09.2017 की अनुपालना में ~~उक्त नियुक्ति एस.बी. विशेष अपील याचिका संख्या 1146 / 2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम जितेन्द्र कुमार व अन्य में पारित ओदेश/निर्णय दिनांक 02.01.2018 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली मेंदायर की गई विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निर्णय के अध्यधीन दी जा रही है।~~
- उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणर्थीयों को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565 / 2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमारत के निर्णय के अध्यधीन होगा। राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से कार्य मुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।
- राज्य सरकार के परिपत्र पं. 13(1) वित्त/नियम 2003 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे। राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इसके पश्चात कर्मवारियों पर नवीन अंशदायी पेशन योजना लागू होगी। यह नियुक्ति चयनित एवं आचरण ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं आवरण के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोष जनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
- कार्य ग्रहण करते समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र-ए में शपथ पत्र 50 रुपये के नॉनज्यूडिशियल ई-स्टाम्प पेपर पर प्रत्रतुत करना होगा।
- उपरोक्त अभ्यर्थीयों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा/सम्बन्ध सत्यापन के पश्चात रवीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा वोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना सं. एफ15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार की पै-मैट्रिक्स लेवल-10 में एवं नियमानुसार देय भर्तों पर किया जायेगा। परिवीक्षाकाल में इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होगी।
- यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यादीन है।
- अभ्यर्थीयों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिलास्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्चस्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति रखीकार्य नहीं होगी।
- अभ्यर्थीयों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की विधियां अवधा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि रखविधेयानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुत्तीर्ण होने पर इसे सेवा से मुक्त किया जा सकता।
- राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदर्भ नहीं होगा।
- यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आवरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इसे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकती।
- उक्त नियुक्ति प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 1464-66/2017 कैप्टन गुरुविन्दर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगी एवं उक्त नियुक्ति एस.बी. विशेष अपील याचिका संख्या 1146 / 2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम जितेन्द्र कुमार व अन्य में पारित ओदेश/निर्णय दिनांक 02.01.2018 के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निर्णय/आदेश के अध्यधीन होगी/दी जा रही है। इसके अंतिरिक्त उक्त पदों एवं इस परीक्षा के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जोधपुर एवं अन्य न्यायालयों में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं में पारित आदेश/निर्णय एवं अंतिम निर्णय के अध्यधीन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान प्रकृति/तथ्य के प्रकरणों में दिये जाने वाले निर्णयों/आदेशों एवं अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगी।

✓

- 13 यदि कोई अन्धर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्ध्र पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में दी गई परिलक्षिया एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा। अन्धर्थी विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र प्रशिक्षण से पूर्व निष्पादित करें।
- 14 उपरोक्त अन्धर्थी आदेश की पालना में नवनियुक्त विभाग/कार्यालय में निश्चित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजाते हैं तो उनके नियुक्त आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक – एफ4 (ई)(१)(६) / पदरक्षापन / अलेसे-गा / 1191
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक – 12/5/18

- 1 शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 शासन सचिव, कार्मिक (क-२) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
- 3 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4 वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, जयपुरको उनके पत्र संख्या एफ.7(56)एफडी/एलरी/2018 दिनांक 10.05.2018 के सदर्भ में।
- 5 अतिरिक्त निदेशक (विधि) निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
- 6 विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षको प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिती प्रस्तुत करने वाले अन्धर्थीयों से रांतोषजनक स्वारथ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिती रखीकार कर कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करावे।
- 7 सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 8 श्री/ श्रीमती/ कुमारी/ सुनी.....
- 9 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
- 10 उपनिदेशक (एसीपी) कोष एवं लेखा जयपुर को कम्प्यूटर पर अपलोड करने एवं पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
- 11 रक्षित /निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्तनिदेशक (कार्मिक-गा)